न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 :– 22/2022

दायर दिनांक :– 07.03.2022

अनवान

मोहन लाल पिता बंशीलाल नाई नि. उलेला तह. जहाजपुर

प्रार्थी.........

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थी..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री महावीर सनाढय, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश :: दिनांक 22.06.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम उलेला प. ह. उलेला में स्थित कृषि भूमि संवत 2073–2076 में स्थित खाता संख्या 84 की आ.न. 1122/87 कुल किता 01 रकबा 2.6136 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 218 की आ.न. 1123/87 कुल किता 01 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेख में प्रार्थी मोहन लाल के पिता खाना पिता कजोड नाई का 1/6 हक व हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है किन्तु उक्त राजस्व जमाबन्दी मे प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज है। प्रार्थी के पिता का सही नाम बंशीलाल पिता कजोड नाई है। उक्त भूमि पूर्व के राजस्व अभिलेखो में प्रार्थी के दादा कजोड पिता भुवाना नाई के खाते में दर्ज थी। प्रार्थी के दादा कजोड की मृत्यु होने पर राजस्व अधिकारियों ने विरासत से नामान्तरण खोला तब राजस्व अधिकरियों ने वारिसान के नामों की सही जॉच नही कर प्रार्थी के पिता बंशीलाल का नाम खाना गलत दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी के पिता का नाम बंशीलाल हैं इस प्रकार राजस्व अधिकारियो ने प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज करने का कोई हक व अधिकार नही था प्रार्थी के पिता बंशीलाल की मृत्यु हो चुकी हैं प्रार्थी के पिता के सभी दस्तावेजों मे बंशीलाल दर्ज हैं इस कारण प्रार्थी के पिता का नाम खाना की जगह बंशीलाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। प्रार्थी के पिता का नाम प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित गलत दर्ज होने से प्रार्थी को अनेक राजकीय कार्य में काफी कठीनाईयों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. एक में

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

वर्णित कृषि भूमि के साथ खसरा सं. 73, 83, 86 कुल किता 3 रकबा 5–17 बीघा में भी प्रार्थी के पिता का नाम गलत खाना पिता कजोड नाई दर्ज था उसको मान्य न्यायालय द्वारा प्रशासन गॉवों के संग अभियान ग्राम पंचायत उलेला में सही नाम बंशीलाल पिता कजोड नाई दिनांक 04.10.2021 को किया गया था लेकिन प्रार्थनापत्र की चरण सं. एक में वर्णित कृषि भूमि सहवन भूल से लिखना रह गया है। इसलिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उक्त वर्णित कृषि आराजियात में मुझ प्रार्थी के पिता का नाम खाना के स्थान पर बंशीलाल दर्ज किये जाने का आदेश पारित कराना फरमावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिनाक 09.06.2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जो पत्रावली में संलग्न है। जिसमें बताया कि ग्राम उलेला प. ह. उलेला के खाता संख्या 84 की आ.न. 1122/87 कुल किता 01 रकबा 2.6136 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 218 की आ.न. 1123/87 कुल किता 01 रकबा 0.0324 हैक्टेयर खातेदार खाना पुत्र कजोड नाई सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेज में प्रार्थी के पिता का नाम बंशीलाल पुत्र कजोड नाई दर्ज है। मुताबिक दस्तावेज आधार कार्ड, शपथ पत्र व ग्राम पंचायत उलेला द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र व गांव वालों के बताये अनुसार खाना पुत्र कजोड नाई के स्थान पर बंशीलाल पुत्र कजोड नाई किया जाना उचित बताया है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के पिता का नाम खाना पुत्र कजोड नाई के बजाय बंशीलाल पुत्र कजोड नाई नाम में शुद्वी कराये जाने के संबध में तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम खाना पुत्र कजोड नाई के बजाय बंशीलाल पुत्र कजोड नाई दर्ज कर शुद्धि किया जाना उचित है, जिससें न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम उलेला प. ह. उलेला में स्थित कृषि भूमि संवत 2073–2076 में स्थित खाता संख्या 84 की आ.न. 1122/87 कुल किता 01 रकबा 2.6136 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 218 की आ.न. 1123/87 कुल किता 01 रकबा 0.0324 हैक्टेयर में खातेदार खाना पुत्र कजोड नाई के बजाय बंशीलाल पुत्र कजोड नाई दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

दिनांक 22.08.2022

क्रमांक / रीडर / 2022 / 22 / 2022

निमित,

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– मु.न. 22 / 2022 अनवान मोहन लाल पिता बंशीलाल नाई नि. उलेला बनाम तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा में अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. ए. के निर्णय की पालना के संबध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में ग्राम उलेला प. ह. उलेला में स्थित कृषि भूमि संवत 2073–2076 में स्थित खाता संख्या 84 की आ.न. 1122 / 87 कुल किता 01 रकबा 2.6136 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 218 की आ.न. 1123 / 87 कुल किता 01 रकबा 0.0324 हैक्टेयर में खातेदार खाना पुत्र कजोड नाई के बजाय बंशीलाल पुत्र कजोड नाई दर्ज किये जाने का आदेश हुये है। तदानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner